न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3282–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–10–06 पारित द्वारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण क्रमांक 533/बी–121/2005–06.

1– मुहम्मद युनुस पुत्र बाबू
निवासी वार्ड नं. 30 नारायण बाग,
छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

2– अनिल अग्रवाल पुत्र स्व. श्री एम.एल. अग्रवाल
निवासी महल रोड, छतरपुर
जिला छतरपुर म.प्र. ----- आवेदकगण

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला छतरपुर ----- असल अनावेदक

2– राजीव लोचन दुबे तनय स्व. रामदयाल दुबे
निवासी पहाड़गांव तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

3– अविनाश खरे पुत्र स्व. भगवत प्रसाद खरे
निवासी डेरा पहाड़ी, छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

4– हरिनारायण पाठक तनय गंगाप्रसाद पाठक,
निवासी चौबे कॉलोनी, छतरपुर म.प्र. ----- तरतीबी अनावेदकगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी ।
अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी ।
अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित ।

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 0। जून, 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 533/बी–121/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 12–10–06 के विरूद्ध म0प्र0

भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा नं. 1464, 1905/3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.627 हैक्टर आवेदकगण एवं अनावेदक क. 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 4–9–1993 को विक्रेतागण जगनकाछी तनय मुन्ने काछी, 2– मुस. मनकी पुत्री तुलसीदास काछी 3– मुस0 जुग्गी पुत्री तुलसीदास काछी से क्रय की थी एवं इसी भूमि को उक्त तीनों क्रेतागणों द्वारा अनावेदक क. 2 राजीव लोचन दुबे को विक्रय कर दिया था । इसके बाद शिकायतकर्ता श्री गोविंद शुक्ला द्वारा एक शिकायत सर्वे नं. 1905/3 के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जिस पर उनके द्वारा जांच कराकर प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा जिस पर से कलेक्टर ने दिनांक 26–4–06 को आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 एवं 3 पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की । कलेक्टर के 26–4–06 के आदेश के विरूद्ध आवेदकों एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 12–10–06 को आदेश पारित किया गया जिसमें अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 लेख किया गया कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है आवेदकों के संबंध में कलेटर का आदेश प्रभावशील रहेगा । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से अपने तर्कों में इस तथ्य पर जोर दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदकों एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 ने संयुक्त रूप से अपील पेश की थी अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकों एवं अनावेदक क्रमांक 2 लगायत 4 के विरूद्ध भिन्न–2 आदेश पारित किया है जबकि प्रश्नाधीन भूमि एक ही है जो जो एक साथ क्रय की गई थी व एक साथ विक्रय की गई थी । जिसके संबंध में आवेदकों पर भी कोई अपराध नहीं बनता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह मान्य किया है कि अनावेदकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब ऐसी स्थिति में केवल आवेदकों के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि वाद कारण सभी पक्षकारों पर समान रूप से लागू होता है ऐसी स्थिति में आवेदकों को दोषी नहीं माना जा सकता है ।

3/ अनावेदक क. 1 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का समर्थन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि आवेदकगण एवं अनावेदक क. 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 4–9–1993 को विकेतागण जगन काछी तनय मुन्ने काछी, मुस. मनकी पुत्री तुलसीदास काछी एवं मुस0 जुग्गी पुत्री तुलसीदास काछी से कय की थी एवं इसी भूमि को उक्त तीनों केतागणों द्वारा अनावेदक क. 2 राजीव लोचन दुबे को विकय कर दिया था । अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–4–06 के विरूद्ध आवेदकों एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा शासन के विरूद्ध संयुक्त रूप से अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जिसमें दिनांक 12–6–2006 को कलेक्टर का आदेश स्थगित रखा गया था जो अपील के सभी आवेदकों पर प्रभावशील था । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त ने अपने आदेश में भी भूमिस्वामी को भूमि बेचने का अधिकारी माना है तथा आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 3 द्वारा अनावेदक क. 2 के पक्ष में किए गए विकय को वैध माना गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के 3 आवेदकों के संबंध में कलेक्टर के आदेश को निरस्त करना एवं 2 आवेदकों के संबंध में कलेक्टर के आदेश को प्रभावशील रखना औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । अतः यह निगरानी इसी आधार पर स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त के आदेश का (आवेदकों के संबंध में कलेक्टर का आदेश प्रभावशील रहने संबंधी) अंश विलोपित करते हुए आवेदकगण मुहम्मद युनुस पुत्र बाबू एवं अनिल अग्रवाल तनय स्व. श्री एम.एल.अग्रवाल के संबंध में भी कलेक्टर, छतरपुर का आदेश दिनांक 26–4–2006 निरस्त किया जाता है । उक्त संशोधन के साथ अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर